उत्तर प्रदेश शासन
भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग
संख्या– 992/86–2022
लखनऊः दिनांक– 22 अगस्त, 2022

विशेष सचिव,
आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कृपया प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से ई–डिस्ट्रिक्स परियोजना के द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सेवाओं को आम जन मानस तक उपलब्ध कराने विषयक निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पत्र संख्या–659/एम–1ए 244/2022(जनसेवा केन्द्र), दिनांक 03.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि आम जनमानस से सम्बन्धित सेवाओं, जिनमें जनहित गारंटी अधिनियम उ0प्र0 के अन्तर्गत सेवायें भी सम्मिलित हैं, को इलेक्ट्रानिक माध्यम से उपलब्ध कराया जाना एवं उन सेवाओं को ई–डिस्ट्रिक पोर्टल (http://edistrict.up.gov.in) से इन्ट्रीगेट किया जाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि वर्तमान में प्रदेश के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की निम्न सेवाएं विभागीय माइनमित्रा पोर्टल (http://minemitra.up.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

अ– उत्तर प्रदेश उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अन्तर्गत :–

क्र.स.	सेवा का नाम	नियम
1	किसानों द्वारा अपनी निजी भूमि से स्वयं के उपयोग के लिए साधारण मिट्टी के खनन/परिवहन हेतु ऑनलाइन पंजीकरण	नियम–51
2	कृषि भूमि पर उपखनिज बालू/मौरम के खनन अनुज्ञा पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन	नियम–52
3	भवन/विकास परियोजनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में निकले उपखनिजों के निस्तारण हेतु ऑनलाइन आवेदन	नियम–53
4	पट्टाधारकों द्वारा उपखनिजों के देय धनराशि का ऑनलाइन भुगतान	नियम–27(3)
5	ईंट भट्ठा हेतु विनियमन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान	नियम–21(2)
6	प्रवर्तन के दौरान पायी गयी अनियमितता के लिये वाहनों को जारी ई–नोटिस के विरूद्ध ऑनलाइन धनराशि जमा करना	नियम–72(6)

ब– उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के अन्तर्गत :–

क्र.स.	सेवा का नाम	नियम
1	उपखनिजो के भण्डारण अनुज्ञप्ति के लिए ऑनलाईन आवेदन	नियम–6
2	फुटकर उपखनिज विक्रेता का ऑनलाइन पंजीकरण	नियम–6

अतएव उक्त सेवाओं को एन0आई0सी0 के तकनीकी टीम की सहायता से ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्ट्रीगेट कराते हुए आम जनमानस को उपलब्ध कराया जाना है।

इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि :–

(1) ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आये आवेदनों के सम्बन्ध में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसी तरह कार्यवाही किया जायेगा, जिस तरह वह वर्तमान में अपने विभागीय पोर्टल पर कार्यवाही कर रहे हैं।

(2) उपरोक्त सेवाएं आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेंगी, तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के शासनादेश सं0–19/2020/1085/78–2–2020–34आई0टी0/2010, दिनांक 22.10.2020 में निर्धारित यूजर चार्जेज की धनराशि शुल्क रू0–30/– जनसेवा केन्द्रों द्वारा

आम जनमानस से ली जायेगी, जो खनिज नियमावली के अन्तर्गत देय शुल्क/ धनराशि के अतिरिक्त होगी।

(3) आवेदक के अनुरोध पर जनसेवा केन्द्रों के अधिकृत ऑपरेटर द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल यूपीमाइनमित्रा पर दी गयी आवेदन की प्रक्रिया यथा नियम, फीस भुगतान की व्यवस्था का अनुपालन किया जायेगा एवं विभागीय पोर्टल पर प्रदर्शित शुल्क/धनराशि को पोर्टल से लिंक्ड खनिज विभाग के लेखा शीर्षक में जमा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्तानुसार भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएँ ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कराते हुए जनसेवा केन्द्रों के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांकः तदैव।</u>

प्रतिलिपि निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या–659 /एम–1ए 244/2022(जनसेवा केन्द्र), दिनांक 03.08.2022 के सन्दर्भ में सूचनार्थ तथा यथावश्यक होने पर एन0आई0सी0 तथा आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को अपेक्षित सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित।

16/08/22

आज्ञा से,

(हृदय नारायण सिंह यादव)
उप सचिव।